संख्या-सा-3-640/ दस-913/96

प्रेषक,

पी0के0मिश्र,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊः दिनांकः 5 मई, 1996

विषय:- पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में की गई व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-3-397/दस-913/92 दिनांक 26-5-1993 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवानिवृत्तक लाभों एवं उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य पेंशन निदेशक / मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित कर दिया जाय।

2- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-5-1993 के प्रस्तर-2(1) 2(5) एवं प्रस्तर 2(6) की व्यवस्थाएं निम्न प्रकार है:-

2-(1) संबंधित कर्मचारी की पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहाँ पर उनका कार्यालय स्थित है।

2-(5) सेवानिवृत्ति के समय तैनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद से पेंशन आहरण व्यवस्था या तो सेवानिवृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के बाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत पेंशन निदेशक / मुख्यलेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जाएगा।

2-(6) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतानादेशों की

-------2/

प्रति संबंधित मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन, जैसी स्थिति हो को भी पृष्ठांकित की जायेगी, जो इन मामलों की जांच करके प्रत्येक तिमाही में अनापत्ति जारी कर देंगे और तब तक अर्थात तीन माह की अवधि तक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश अनन्तिम माने जायेंगें और कोई त्रुटि पाये जाने पर उनमें सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जाएगा। यदि मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक, पेंशन को प्रकरण भेजने की तिथि से तीन माह की अवधि में यथास्थिति मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत भुगतानादेश स्वत: अन्तिम माना जायेगा। मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

3- शासनादेश की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप पेंशनरों को कतिपय कठिनाईयां हो रही है एवं अनावश्यक विलम्ब भी हो रहा है। अतएव उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26-5-1993 में उसके प्रस्तर- 2§1§, 2§5§, 2§6§ के स्थान पर निम्न-लिखित व्यवस्था स्थापित किये जाने के आदेश दिये है:-

§1§ प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को निस्तारित करते हुए उनका पेंशन भुगतानादेश राज्य सरकार के अन्तर्गत ही उस जनपद के कोषागार से भुगतान हेतु निर्गत करेंगे जहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन आहरित करने का विकल्प देता है। कार्यालयाध्यक्ष पेंशन भुगतानादेश अपने जिले के कोषाधिकारी को भेजेंगें जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करके तथा "नो पेमेन्ट प्रमाण-पत्र" देते हुए पेंशनरद्वारा चुने गये जनपद के कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित कर देंगे।

§2§ शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26-5-1993 के प्रस्तर-2§6§ की व्यवस्था को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था

-----3/

की जाती है कि अब निर्गत भुगतानादेशों की प्रतियां निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0/ संबंधित विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों / वित्त नियंत्रकों को जांच हेतु नहीं प्रेषित किया जायेंगे और उनसे पेंशन निर्धारण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी।

§3§ निदेशक पेंशन / मुख्य लेखाधिकारियों / वित्त नियंत्रकों का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

4— सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष क्रमशः उपरोक्त परिवर्तन/संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5— यह आदेश तत्काल प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीय,

§ पी0के0 मिश्र §
सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3- 640 §1§/दस-96-913/96तद्दिनांक

प्रेषित:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1— शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव।
2— महालेखाकार §लेखा§ प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार §आडिट§, तृतीय एवं चतुर्थ, इलाहाबाद।
3— निदेशक, पेंशन उ0प्र0इन्दिराभवन, लखनऊ।
4— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0जवाहर भवन, लखनऊ।
5— प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
6— प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
7— प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
8— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10— निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।